16.12.24

रेनू

मदनलाल

[illegible]

अधिवक्ता उभयपक्ष उप० । पत्रावली पेश। चूंकि मूलवाद सं. 2024/057 खारिज किया जा चुका है अतः वि. प्रा० पत्र 212 RTA का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अतः वि. प्रा० पत्र 212 RTA सं. 2024/544 अनवानी रेणु बनाम मदनलाल व अन्य वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्तीबद्ध हो। पत्रावली दायरापंजिका के क्रम से कम की जाकर निर्णय की सूची में शामिल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 10:58:15 IST
Reason: SelfAttested